[2018] 12 एस.सी.आर. 906

सुजुकी पारसरामपुरिया सूटिंग प्राइवेट लिमिटेड

बनाम.

महेंद्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (परिसमापन में) और अन्य के आधिकारिक परिसमापक 08 अक्टूबर, 2018

(सिविल अपील संख्या 10322/2018)

[रंजन गोगोई, सीजेआई, नवीन सिन्हा और केएम जोसेफ, जेजे]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 - एक मैसर्स एमपीएल को बंद करने के लिए दायर कंपनी याचिका - मैसर्स एमपीएल को पुनर्वास के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुननर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भी भेजा गया था - बीआईएफआर की अनुमति या जानकारी के बिना, इसके लंबित रहने के दौरान, मैसर्स एमपीएल ने अपीलकर्ता को अपनी संपत्तियों को पट्टे पर देने के लिए अपीलकर्ता की सहयोगी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अपने ऋण के पुनर्भुगतान के लिए 20 वर्षों के लिए - भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई) मैसर्स एमपीएल का सुरक्षित लेनदार था और 160 करोड़ रुपये के बकाया के लिए मैसर्स एमपीएल की परिसंपत्तियों पर पहला प्रभार रखता था - समापन आदेश के बाद, आईएफसीआई ने अपीलकर्ता को 85 लाख रुपये की राशि के लिए अपना बकाया सौंपा - अपीलकर्ता ने आईएफसीआई के स्थान पर प्रतिस्थापन के लिए कंपनी आवेदन दायर किया। 31.07.2015 को आवेदन को खारिज कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता न तो एक बैंक / बैंकिंग कंपनी / वित्तीय संस्थान / प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी है और इसलिए उसे सरफेसी अधिनियम के उद्देश्य के लिए सुरक्षित लेनदार के रूप में आईएफसीआई के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है - उक्त आदेश को वापस लेने / समीक्षा के लिए अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है कि उसने आईएफसीआई के बदले एक सुरक्षित लेनदार का दर्जा कभी नहीं मांगा, बल्कि केवल एक हस्तांतरणी घोषित होने की इच्छा व्यक्त की थी। आईएफसीआई द्वारा टी.पी. अधिनियम की धारा 130 के तहत कार्रवाई योग्य दावे के आधार पर अपीलकर्ता ने विशेष रूप से आईएफसीआई से अपने पक्ष में असाइनमेंट के विलेख के परिणामस्वरूप एक सुरक्षित लेनदार के रूप में आईएफसीआई के स्थान पर प्रतिस्थापन की मांग की - कंपनी न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता के सुरक्षित लेनदार होने के दावे को खारिज करने के बाद, और अपीलकर्ता को कानून में अपने दावे की अविश्वसनीयता का एहसास हुआ, उसने अपनी दलीलों के विपरीत, अपने पहले के रुख से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया, और तर्क दिया कि उसके पास 906 सुजुकी पारसरामपुरिया सूटिंगस प्राइवेट लिमिटेड बनाम महेंद्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड आधिकारिक परिसमापक थे। सरफेसी अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार का दर्जा कभी नहीं मांगा- एक वादी एक ही मामले में विरोधाभासी रुख नहीं अपना सकता है -अपील में कोई योग्यता नहीं है - संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 - धारा 130।

अभ्यास और प्रक्रिया - एक ही मामले में असंगत स्थिति - असमर्थनीयता: एक पक्ष को एक ही तथ्यों पर विचार करने और असंगत बदलाव रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा: 1.1 कि अपंजीकृत समझौता ज्ञापन बीआईएफआर की अनुमति के बिना था, 19.04.2010 को समापन आदेश पारित होने तक कंपनी न्यायालय को इसका खुलासा नहीं किया गया था, आईएफसीआई द्वारा 85 लाख रुपये के लिए 160 करोड़ रुपये के ऋण का आवंटन स्वीकार किए गए तथ्य हैं। कंपनी न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में यह बहुत स्पष्ट किया गया है कि कंपनी आवेदन में अपीलकर्ता ने विशेष रूप से आईएफसीआई से आईएफसीआई से अपने पक्ष में सौंपे गए कार्य के विलेख के परिणामस्वरूप प्रथम प्रभार धारण करने वाले सुरक्षित लेनदार के रूप में आईएफसीआई के स्थान पर प्रतिस्थापन की मांग की थी। कंपनी न्यायाधीश के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि आईएफसीआई से ऋणों के असाइनी के रूप में, अपीलकर्ता ने अनिवार्य रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत एक सुरक्षित लेनदार

के रूप में प्रतिस्थापन की मांग की और उस उद्देश्य के लिए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 130 के प्रावधानों से जीविका प्राप्त करने की मांग की।

1.2 अपीलकर्ता ने शुरू में कंपनी जज के समक्ष एक सचेत और सुविचारित रुख अपनाया, जिसमें आईएफसीआई द्वारा उसे ऋण सौंपे जाने के परिणामस्वरूप सरफेसी अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने का दावा किया गया। यह दावा केवल टीपी अधिनियम की धारा 130 के तहत कार्रवाई योग्य दावे के असाइनमेंट के संबंध में नहीं था, यह आईएफसीआई द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपनी दलीलों और पर्स से स्पष्ट है। अपीलकर्ता के सुरक्षित लेनदार होने के दावे को कंपनी जज द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद, और अपीलकर्ता को कानून में अपने दावे की अस्थिरता का एहसास होने के बाद, उसने अपने पहले के रुख से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया और आश्चर्यजनक रूप से, अपनी दलीलों के विपरीत, अब तर्क दिया कि उसने कभी भी सरफेसी अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार का दर्जा नहीं मांगा था।

1.3 एक वादी अलग-अलग समय पर अलग-अलग रुख अपना सकता है लेकिन एक ही मामले में विरोधाभासी रुख नहीं अपना सकता है। किसी पार्टी को एक ही तथ्य पर विचार करने और असंगत बदलाव के रुख को अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपील में कोई दम नहीं पाया गया है। [पैरा 12, 14] [913-सी, जी]

अमर सिंह बनाम भारत संघ (2011) 7 एससीसी 69:

[2011] 6 एससीआर 403; एयर लाइन पायलटों की संयुक्त कार्रवाई समिति बनाम नागरिक उड्डयन महानिदेशक

(2011) 5 एससीसी 435: [2011] 5 एससीआर 1019 पर भरोसा किया गया।

केस लॉ रेफरेंस [2011] 6 एससीआर 403 पैरा 12 [2011] 5 एससीआर 1019 पर आधारित पैरा 13

सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्र पर आधारित है: सिविल अपील संख्या 10322 /2018 में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय आदेश दिनांकित 02.09.2016 से ओ.जे.हरिन पी. रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मोनिशा हांडा, मोहित डी. राम, अपीलकर्ता के अधिवक्तागण।

दीपक जैन, जसप्रीत औलख, प्रभलीन कौर, तनप्रीत गुलाटी, ए सुमति, पुनीत जैन, क्रिस्टी जैन, अभिनव गुप्ता, हर्ष जैन, विनीता, अनिप सचथे, अंजलि चौहान, रिया सचथे,प्रतिवादी केअधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय नवीन सिन्हा द्वारा पारित किया गया

नवीन सिन्हा जे. स्वीकृति दी गई।

2. अपीलकर्ता मेसर्स महेंद्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (इसके बाद "मेसर्स एमपीएल" के रूप में संदर्भित) के बकाया के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (जिसे बाद में "आईएफसीआई" कहा जाता है) द्वारा ऋण का एक असाइनी है। यह 2016 के ओजे अपील संख्या 4 में दिनांक 02.09.2016 के अपीलीय आदेश से व्यथित है, जिसमें 2014 के कंपनी आवेदन संख्या 248 में कंपनी न्यायाधीश के दिनांक 31.07.2015 के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था, और 2015 के ओजेएमसीए नंबर 170 में 07.09.2015 के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया गया था। सुजुकी परसरामपुरिया सूटिंगस प्राइवेट लिमिटेड बनाम महेंद्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के आधिकारिक परिसमापक [नवीन सिन्हा, जे।]

3. वर्तमान अपील में उत्पन्न होने वाले विवाद की सीमित प्रकृति में, वर्तमान आदेश के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता को निर्धारित करना और उससे निपटना आवश्यक नहीं माना जाता है।

4. मैसर्स एमपीएल को बंद करने के लिए कंपनी याचिका संख्या 150/1996 दायर की गई थी। कंपनी को संदर्भ संख्या 385/2000 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (इसके बाद "बीआईएफआर" के रूप में संदर्भित) के पुनर्वास के लिए भी भेजा गया था। इसके लंबित रहने के दौरान, बीआईएफआर की अनुमति या जानकारी के बिना, मैसर्स एमपीएल ने अपीलकर्ता की सहयोगी कंपनी मेसर्स सुजुकी परसरामपुरिया सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अपंजीकृत समझौता ज्ञापन (जिसे बाद में 'एमओयू' के रूप में संदर्भित किया गया) पर हस्ताक्षर किए, ताकि अपीलकर्ता को अपने ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए अपनी संपत्तियों को 20 साल के लिए पट्टे पर दिया जा सके। दिनांक 19-04-2010 को समापन आदेश पारित किए जाने तक समझौता ज्ञापन को भी कंपनी न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। आईएफसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा - प्रतिवादी नंबर 3 और पंजाब नेशनल बैंक - प्रतिवादी नंबर 4 सिक्योर्ड क्रेडिटर थे, जिन्होंने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "सरफेसी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष अपने ऋणों की वसूली के लिए मैसर्स एमपीएल के खिलाफ मूल आवेदन दायर किए थे। आईएफसीआई ने 160 करोड़ रुपये के बकाया के लिए मैसर्स एमपीएल की परिसंपत्तियों पर पहला प्रभार संभाला और लगभग 4,68,00,000/- रुपये के बकाया के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने दूसरा प्रभार संभाला। समापन आदेश के बाद 28-07-2010 को आईएफसीआई ने अपीलकर्ता को केवल 85 लाख रुपये की राशि के लिए अपनी देय राशि सौंपी और उसके बाद आधिकारिक परिसमापक को सूचित किया।

5. अपीलकर्ता ने कंपनी का आवेदन संख्या 248/2014 दायर किया, जिसमें आईएफसीआई के स्थान पर मेसर्स एमपीएल के सुरक्षित लेनदार के रूप में प्रतिस्थापन के लिए अनुरोध किया गया। कंपनी न्यायाधीश ने 31.07.2015 को आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि अपीलकर्ता न तो बैंक या बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान या प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी है और इसलिए उसे सरफेसी अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक सुरक्षित लेनदार के रूप में आईएफसीआई के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। सरफेसी अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार के रूप में प्रतिस्थापन के लिए मांगी गई राहत की प्रकृति में, कंपनी न्यायाधीश ने कहा कि अपीलकर्ता संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 130 से इस उद्देश्य के लिए कोई लाभ नहीं ले सकता है। अन्य सभी विवादों को उचित कार्यवाही में उपयुक्त न्यायालय/मंच के समक्ष उठाए जाने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। अपीलकर्ता ने तब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 12 एस.सी.आर.

कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के नियम 9 के तहत कंपनी अदालत की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए ओजेएमसीए संख्या 170/2015 दायर की गई है, जिसमें 31.07.2015 के आदेश को वापस लेने/समीक्षा करने के लिए कहा गया है कि अपीलकर्ता ने कभी भी सुरक्षित लेनदार के रूप में प्रतिस्थापन की मांग नहीं की थी और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 130 के तहत कार्रवाई योग्य दावे के हस्तांतरणकर्ता के रूप में प्रतिस्थापन की मांग की थी (इसके बाद इसे "टीपी अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है)। रिकॉल/रिव्यू आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि आवेदन में एक पूरी तरह से नया मामला बनाने की मांग की गई थी।इसके खिलाफ अपील को आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

6. अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री हरिन पी. रावल ने दिनांक 02.09.2016 के आदेश का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने आईएफसीआई के बदले कभी भी सुरक्षित लेनदार का दर्जा नहीं मांगा था। इस आशय का निष्कर्ष गलत और पूरी तरह से गलत है। अपीलकर्ता बस यह चाहता था कि उसे टी.पी. अधिनियम की धारा 130 के तहत कार्रवाई योग्य दावे के आईएफसीआई से स्थानांतरणकर्ता घोषित किया जाए। उत्तरार्द्ध के तहत अपीलकर्ता के अधिकार और दावे एकमात्र मुद्दा था, और इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। दिनांक 28-07-2010 का कार्य विलेख विद्यमान था और इसे किसी ने भी चुनौती नहीं दी थी। सरफेसी अधिनियम के तहत अपीलकर्ता की किसी भी स्थिति की कमी टी.पी. अधिनियम की धारा 130 के तहत कार्रवाई योग्य दावे के हस्तांतरण के लिए इसकी कार्रवाई को अस्वीकार करने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक विचार था। कंपनी (न्यायालय) नियमों के नियम 9 के तहत कंपनी न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को मामले के तथ्यों में प्रयोग करने से गलत तरीके से मना कर दिया गया था।

7. प्रतिवादियों के वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अपीलकर्ता को कंपनी न्यायाधीश द्वारा अपने एकमात्र दावे की अस्वीकृति के बाद एक ही कार्यवाही में अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग समय पर शिफ्टिंग स्टैंड लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

8. हमने पार्टियों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है। यह कि अपंजीकृत समझौता ज्ञापन बीआईएफआर की अनुमति के बिना किया गया था, 19-04-2010 को समापन आदेश पारित किए जाने तक कंपनी न्यायालय को इसका खुलासा नहीं किया गया था, आईएफसीआई द्वारा 85 लाख रुपये के लिए 160 करोड़ रुपये के ऋण के आवंटन में तथ्य स्वीकार किए गए हैं। कंपनी न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 31.07.2015 के आदेश में यह बहुत स्पष्ट किया गया है कि अपीलकर्ता ने 2014 के कंपनी आवेदन संख्या 248 में आईएफसीआई के स्थान पर आईएफसीआई से दिनांक 28.07.2010 को अपने पक्ष में सौंपे गए कार्य के परिणामस्वरूप प्रथम प्रभार धारण करने वाले सुरक्षित लेनदार के रूप में प्रतिस्थापन की मांग की थी। मांगी गई राहत के समर्थन में, 21.11.2011 सुजुकी परसरामपुरिया सूटिंगस प्राइवेट लिमिटेड बनाममहेंद्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के आधिकारिक परिसमापक [नवीन सिन्हा, जे] पर भी भरोसा किया गया था।आईएफसीआई द्वारा के ओए संख्या 452/200 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण, अहमदाबाद के समक्ष अपीलकर्ता के पक्ष में सौंपे गए कार्य की पुष्टि करते हुए दायर किया गया है। कंपनी न्यायाधीश के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि आईएफसीआई से ऋण के असाइनी के रूप में, अपीलकर्ता ने अनिवार्य रूप से सरफेसी अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार के रूप में प्रतिस्थापन की मांग की और उस उद्देश्य के लिए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 130 के प्रावधानों से जीविका प्राप्त करने की मांग की। इसलिए, कंपनी न्यायाधीश ने राय दी कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 130 मामले के तथ्यों में लागू नहीं होती है, जिससे पार्टियों के लिए उचित कार्यवाही में उचित अदालत / मंच के समक्ष सभी उपलब्ध विवादों को लेने का विकल्प खुला रहता है। वर्तमान अपील में अपीलकर्ता द्वारा उठाए जाने वाले विवाद की प्रकृति को देखते हुए हम कंपनी न्यायाधीश के आदेश से निम्नलिखित उद्धरण निर्धारित करना उचित समझते हैं: "23। इस आवेदन में विचार किए जाने के लिए आवश्यक एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या आवेदक को परिसमापन में कंपनी के सुरक्षित लेनदार के रूप में आईएफसीआई लिमिटेड के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है? इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए सरफेसी अधिनियम के कतिपय उपबंधों पर विचार किया जाना अपेक्षित है। 25. इस प्रकार, सरफेसी अधिनियम में निहित उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि जब आवेदक कंपनी बैंक या बैंकिंग या वित्तीय संस्थान या प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है, तो आवेदक को सरफेसी अधिनियम, 27 के प्रयोजन के लिए सुरक्षित लेनदार के रूप में आईएफसीआई के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 130 के उपर्युक्त प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि आईएफसीआई ने परिसमापन में कंपनी के ऋणों को असाइनमेंट के विलेख द्वारा आवेदक के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया है और इसलिए आवेदक का मामला यह है कि उसे सुरक्षित लेनदार के रूप में सरफेसी अधिनियम के तहत परिसमापन में कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने की अनुमति दी जा सकती है। आवेदक सरफेसी अधिनियम के तहत कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है और उसे सुरक्षित लेनदार नहीं कहा जा सकता है। इसलिए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 130 के प्रावधानों पर आवेदक के लिए विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता गलत है। 9. कंपनी न्यायाधीश द्वारा दिनांक 07.09.2015 के अपने आदेश में देखे गए कंपनी आवेदन संख्या 248/2018 में अपीलकर्ता द्वारा दी गई दलीलों का प्रासंगिक निष्कर्ष भी ध्यान देने योग्य है: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 12 एस.सी.आर.

"8. मैं कहता हूं और निवेदन करता हूं कि इससे पहले, आईएफसीआई ने भी 2000 के मूल आवेदन संख्या 452 ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद के समक्ष दिनांक 21-11-2011 को एक पर्शी दायर की थी जिसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि आईएफसीआईलिमिटेड ने आवेदक के पक्ष में अपनी देय राशि निर्धारित की है। मैं ऋण वसूली अधिकरण,अहमदाबाद के समक्ष मूल आवेदन संख्या 452/2000 में दिनांक 21-11-2011 को दायर पुरषियों की एक प्रति अनुलग्नक-III में संलग्न करता हूं।

10. मैं कहता हूं और निवेदन करता हूं कि डीड ऑफ असाइनमेंट के प्रस्ताव के अनुसार, परिसमापन में कंपनी को दी गई वित्तीय सुविधाओं के संबंध में आवेदक परिसमापन में कंपनी का सुरक्षित लेनदार बन गया है और इसमें अंतर्निहित सुरक्षा हित परिसमापनमें कंपनी की तुलना में आवेदक में निहित हैं।

10. अपीलकर्ता ने शुरू में कंपनी जज के समक्ष एक सचेत और सुविचारित रुख अपनाया, जिसमें आईएफसीआई द्वारा उसे ऋण सौंपे जाने के परिणामस्वरूप सरफेसी अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने का दावा किया गया। यह दावा केवल टीपी अधिनियम की धारा 130 के तहत कार्रवाई योग्य दावे के असाइनमेंट के संबंध में नहीं था, यह आईएफसीआई द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपनी दलीलों और पर्स से स्पष्ट है। इस तरह के आवेदन पर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के संबंध में हमारे समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी गई है। अपीलकर्ता के सिक्योर्ड क्रेडिटर होने के दावे को कंपनी जज द्वारा खारिज किए जाने के बाद, और अपीलकर्ता को कानून में अपने दावे की अस्थिरता का एहसास होने के बाद, उसने अपने पहले के रुख से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया और आश्चर्यजनक रूप से, अपने स्वयं के तर्कों के विपरीत, अब तर्क दिया कि उसने कभी भी सरफेसी अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार का दर्जा नहीं मांगा था।

11. अपीलकर्ता का यह तर्क कि उसने सरफेसी अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार के रूप में कभी प्रतिस्थापन की मांग नहीं की थी, 07.09.2015 के आदेश में निहित अभिलेखों से भी गलत है। इस अदालत ने बार-बार यह माना है कि उच्च न्यायालय के समक्ष जो कुछ हुआ, उसके संबंध में आदेश पत्र में दिए गए पाठ पवित्र हैं। एकल न्यायाधीश ने समीक्षा क्षेत्राधिकार में दोहराया है कि 2014 के कंपनी आवेदन संख्या 248 में उनके समक्ष संबोधित तर्क विशेष रूप से सरफेसी अधिनियम के तहत निम्नानुसार किए गए थे: सुजुकी परसरामपुरिया सूटिंग ्स पी. लिमिटेड बनाम महेंद्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के आधिकारिक परिसमापक [नवीन सिन्हा, जे। "यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उक्त आवेदन में आवेदक के वकील ने बहस के समय प्रस्तुत किया कि आवेदक को सुरक्षित लेनदार के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए और सरफेसी अधिनियम के तहत लाभ दिया जाए और इसलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से पेश वकील श्री राव ने सरफेसी अधिनियम में निहित प्रावधानों पर भरोसा करने के बाद विस्तार से प्रस्तुत किया। आवेदक को सुरक्षित लेनदार के रूप में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

12. एक वादी अलग-अलग समय पर अलग-अलग रुख अपना सकता है लेकिन एक ही मामले में विरोधाभासी रुख नहीं अपना सकता है। किसी पार्टी को एक ही तथ्य पर विचार करने और असंगत बदलाव के रुख को अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसी मामले में असंगत रुख की अपरिहार्यता पर अमर सिंह बनाम भारत संघ, (2011) 7 एससीसी 69 में विचार किया गया था, जिसमें कहा गया था: "50। यह न्यायालय यह स्पष्ट करना चाहता है कि कानून पर कार्रवाई शतरंज का खेल नहीं है। एक वादी जो अदालत में आता है और अपने रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करता है, उसे साफ हाथों से आना चाहिए। वह पूर्वाग्रह नहीं रख सकते और असंगत रुख नहीं अपना सकते।

13. एयर लाइन पायलट ्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम डीजी ऑफ सिविल एविएशन की संयुक्त कार्रवाई समिति, (2011) 5 एससीसी 435 में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था। चुनाव का सिद्धांत एस्टोपेल के नियम पर आधारित है - यह सिद्धांत कि कोई इसमें निहित नहीं हो सकता है। चुनाव द्वारा एस्टोपेल का सिद्धांत पैस (या न्यायसंगत एस्टोपेल) में एस्टोपेल की प्रजातियों में से एक है, जो इक्विटी में एक नियम है ... किसी पार्टी द्वारा असंगत दलीलों को स्वीकार करना उसके आचरण को संतोषजनक नहीं बनाता है। इसके अलावा, पार्टियों को असंगत रुख अपनाकर गर्म और ठंडा नहीं होना चाहिए और अनावश्यक रूप से कार्यवाही को लंबा नहीं खींचना चाहिए।

14. परिणामस्वरूप हमें अपील में कोई दम नजर नहीं आता। अपील खारिज की जाती है। दिव्या पांडे की अपील खारिज।

Digitally signed by Shweta Tiwari
Date: 2023.10.31 10:14:06 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court